

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, २०११ के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹२,६८,१७,५५० (दो करोड़ अड़सठ लाख सत्रह हजार पाँच सौ पचास रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, २०११ के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-०८.०३.१६ की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-११०४ दिनांक-१५.०३.१६ के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार पूँजीगत अनुदान/भू-खण्ड अनुदान/परियोजना प्रतिवेदन अनुदान/गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान का विवरण	अनुदान की राशि
१	मेसर्स अनोखी पेन्सिल प्रा० लि०, गौरीचक, सम्पतचक, पटना	पूँजीगत अनुदान	₹१०,९९,२९०/-
२	सर्वश्री सौरभ पोल इण्डस्ट्रीज, औ० विकास केन्द्र, औरंगाबाद	पूँजीगत अनुदान	₹३९,४८,८१४/-
३	सर्वश्री बजरंग फोम, औ० क्षेत्र, हाजीपुर	पूँजीगत अनुदान	₹३,३१,५००/-
४	सर्वश्री ओमदेव पैकेजिंग, औ० क्षेत्र, हाजीपुर	पूँजीगत अनुदान	₹३०,१४,३८७/-
५	सर्वश्री सरिता प्रेस, यूनिट नं०-२ राय हसनपुर, चाँई टोला, पटना	पूँजीगत अनुदान	₹५,८७,५२०/-
६	सर्वश्री गंधार कंक्रीट पोल, औ० क्षेत्र, बिहिया, भोजपुर	पूँजीगत/भूखण्ड-अनुदान	₹५४,४६,४८४/-
७	सर्वश्री भगवती मेटलायज प्रा० लि०, औ० क्षेत्र, फतुहा, पटना	पूँजीगत अनुदान	₹१०,८७,७२३/-
८	मे० साहा एण्ड ब्राइट पोलिटेक प्रा० लि०, खिरोधपुर, खुशरुपुर, पटना	पूँजीगत अनुदान	₹६४,९८,८७६/-

क०प०३०

9	सर्वश्री पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०, औ० क्षे०, फतुहा, पटना	पूँजीगत/भूखण्ड-अनु दान	₹48,02,956/-
कुल			₹2,68,17,550/-

(दो करोड़ अड़सठ लाख सत्रह हजार पाँच सौ पचास रूपए मात्र)

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
2. उक्त राशि का व्यय वहन मांग-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852- उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड - P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में आवंटनादेश सं०-20/आवं०, दिनांक-20.06.15,101/आवं०, दिनांक 27.01.2016 तथा राज्यादेश संख्या-1230, दिनांक- 28.03.16 द्वारा तृतीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि एवं 16.1/आवं०, दिनांक 28.03.2016 के द्वारा आवंटित राशि से विकलित होगी।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान संबंधित ईकाइयों को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-.....  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई का नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना

कृ०प०उ०




ज्ञापांक-..... 1240

पटना, दिनांक..... 29.03.16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना